कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No.. 07453&230244

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2023–24/ 3745 दिनांक 8.9.7.2024

निमित्तः–

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी
एफसीए राजस्थान जयपुर।

विषय :–ProposaL fOR DIVERSION OF 286.47 HA OF FOREST LAND IN FAVOUR OF Executive Enginer water Resource Division III, Baran Costrucation of Hatiyadeh Medium irrigation Project in Baran District, Rajasthan state-rag.

संदर्भः– उप वन संरक्षक बारां के पत्रांक 6368 दिनांक 24.06.2024 के क्रम में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त प्रकरण में आप द्वारा Online EDS Date 08-03-2023 से चाही गई सूचना निम्नानुसार है–

क्र.सं.	EDS	EDS Reply
1	यूजर ऐजेन्सी द्वारा R&R Plan की अनुमोदित प्रति ऑनलाईन पर सही अपलोड नही की गई है एवं उक्त R&R Plan सक्षम स्तर से अनुमोदित कर पत्र सलंग्न नही किया गया है। CAT Plan के संबंध में शपथ पत्र एवं एक प्रति सलंग्न की गई है, जिस पर मुख्य वन संरक्षक कोटा/उप वन संरक्षक, बारां की टिप्पणी प्राप्त नही है।	यूजर ऐजेन्सी द्वारा R&R Plan की अनुमोदित प्रति आनलाईन सही कर अपलोड कर दी गई है। CAT Plan के संबंध में यूजर ऐजेन्सी के पत्र क्रमांक 2929 दिनांक 15.03.2023 से अवगत कराया गया है कि संशोधन उपरान्त अनुमोदित CAT Plan कि प्रति सलंग्न कर दी जायेगी। इस संबंध में यूजर ऐजेन्सी द्वारा दी गई अंडरटैंकिग सलंग्न है।
2	उप वन संरक्षक बारां द्वारा 35 है0 गैर वनभूमि में अतिक्रमण होना दृश्यमान है जिसमें यूजर ऐजेन्सी द्वारा अतिक्रमण हटाया जावेगा अंकित किया गया है। जबकि प्रस्ताव में पार्ट II में स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र (102.08 तिखोद, 117 है0 पाटुन्दा एवं 66.72 है0 पाटुन्दा) में गैर वनभूमि अतिक्रमण से मुक्त है। प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि पर अतिक्रमण है तो अतिक्रमण हटाया जाकर ही गेर वनभूमि लिया जाना उचित होगा।	यूजर ऐजेन्सी द्वारा भूमि कोअतिक्रमण मुक्त कर वन विभाग को संभलाने संबंधी अंडरटैकिंग सलंग्न है।
3	मक निस्तारण योजना के संबंध में यूजर ऐजन्सी द्वारा मक को प्रयोग में लाये जाने एवं बकाया मक वनक्षेत्र के बाहर निस्तारण करने हेतु लिया गया है योजना में यह स्पष्ट नही ह ैकि अनुमानित कितना मक यृजित होगा एव किस प्रकार उसक प्रयोग किया जावेगा इसके संबंध में कोई योजना/वचनबद्वता सलंग्न नही दी गई है।	यूजर ऐजेन्सी द्वारा मक डिस्पोजल योजना एवं अंडरटैकिंग सलंग्न है।

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No.. 07453&230244

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2023–24/ 3745 दिनांक 9.7.2024

निमित्तः–

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी
एफसीए राजस्थान जयपुर।

विषय :–ProposaL fOR DIVERSION OF 286.47 HA OF FOREST LAND IN FAVOUR OF Executive Enginer water Resource Division III, Baran Costrucation of Hatiyadeh Medium irrigation Project in Baran District, Rajasthan state-rag.

संदर्भः– उप वन संरक्षक बारां के पत्रांक 6368 दिनांक 24.06.2024 के क्रम में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त प्रकरण में आप द्वारा Online EDS Date 08-03-2023 से चाही गई सूचना निम्नानुसार है–

क्र.सं.	EDS	EDS Reply
1	यूजर ऐजेन्सी द्वारा R&R Plan की अनुमोदित प्रति ऑनलाईन पर सही अपलोड नही की गई है एवं उक्त R&R Plan सक्षम स्तर से अनुमोदित कर पत्र सलंग्न नही किया गया है। CAT Plan के संबंध में शपथ पत्र एवं एक प्रति सलंग्न की गई है, जिस पर मुख्य वन संरक्षक कोटा/उप वन संरक्षक, बारां की टिप्पणी प्राप्त नही है।	यूजर ऐजेन्सी द्वारा R&R Plan की अनुमोदित प्रति आनलाईन सही कर अपलोड कर दी गई है। CAT Plan के संबंध में यूजर ऐजेन्सी के पत्र क्रमांक 2929 दिनांक 15.03.2023 से अवगत कराया गया है कि संशोधन उपरान्त अनुमोदित CAT Plan कि प्रति सलंग्न कर दी जायेगी। इस संबंध में यूजर ऐजेन्सी द्वारा दी गई अंडरटैंकिग सलंग्न है।
2	उप वन संरक्षक बारां द्वारा 35 है0 गैर वनभूमि में अतिक्रमण होना दृश्यमान है जिसमें यूजर ऐजेन्सी द्वारा अतिक्रमण हटाया जावेगा अंकित किया गया है। जबकि प्रस्ताव में पार्ट II में स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र (102.08 तिखोद, 117 है0 पाटुन्दा एवं 66.72 है0 पाटुन्दा) में गैर वनभूमि अतिक्रमण से मुक्त है। प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि पर अतिक्रमण है तो अतिक्रमण हटाया जाकर ही गेर वनभूमि लिया जाना उचित होगा।	यूजर ऐजेन्सी द्वारा भूमि कोअतिक्रमण मुक्त कर वन विभाग को संभलाने संबंधी अंडरटैकिंग सलंग्न है।
3	मक निस्तारण योजना के संबंध में यूजर ऐजन्सी द्वारा मक को प्रयोग में लाये जाने एवं बकाया मक वनक्षेत्र के बाहर निस्तारण करने हेतु लिया गया है योजना में यह स्पष्ट नही ह ैकि अनुमानित कितना मक यृजित होगा एव किस प्रकार उसक प्रयोग किया जावेगा इसके संबंध में कोई योजना/वचनबद्वता सलंग्न नही दी गई है।	यूजर ऐजेन्सी द्वारा मक डिस्पोजल योजना एवं अंडरटैकिंग सलंग्न है।

4	यूजर ऐजन्सी द्वारा लागत लाभ विश्लेषण में अपेक्षित संशोधन नही किया गया है।	यूजर ऐजन्सी द्वारा लागत लाभ विश्लेषण में संशोधन कर सलंग्न कर दिया गया है।
5	उप वन संरक्षक बारा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि 286.47 है0 में से मात्र 95 है0 में ही वृक्षरोपण कराया जावेगा बाकि परिभाषित वनं भूमि में करवाया जावेगा। जबकि प्रस्ताव के साथ सलंग्न स्थल उपयुक्तता बताई गई है जो विरोधाभासी है।भारत सरकार के परिपत्र अनुसार प्राप्त गैर वनभमि में लगने वाले पौधों के अतिरिक्त अवशेष पौधों को ही समीपस्थ परिभ्रांषित वन भूमि में लगाये जा सकते है। प्रकरण में प्राप्त सम्पूर्ण NFL का उपचार किया जाना आवश्यक है।	इस क्षेत्र में प्राप्त प्रत्याविर्तत भूमि कुल 242.5 है0 परन्तु दो तिहाई भग पर ज्यूलिफलोरा होने वृक्षारोपण करया जना संभव नही है। 95.57 है0 भूमि पर ही वृक्षारोपण कराया जाना संभव है परन्तु संपूर्ण प्राप्त गैर वनभूमि का उपचार कराया जायेगा। वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त भूमि कर पौधो का वृक्षारोपण NFL माडल अनुसार करवाया जायेगा। एवं अवशेष पौधों का वृक्षारोपण परिभ्राषित वनभमि पर DFL माडल अनुसार करावाया जायेगा।
6	यूजर ऐजेन्सी द्वारा पार्ट–I के बिन्दु संख्या L में NFL (तिखोद, पाटून्दा–242.5 है0,नचनाखेडा 26.336 है0, इकलेरा सागर 17.66 है0) अपलोड की गई है किन्तु तिखोद व पाटून्दा 242.5 है0 की केएमएल फाईल अपलोड नही की गई है एवं इनके स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र भी सलंग्न नही है।	यूजर ऐजन्सी द्वारा KML FILE अपलोड कर दी गई है।

(रामकरण खैरवा)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए./मु.व.स./2023–24/ 3746 दिनांक 9.7.2024

प्रतिलिपिः– उप वन संरक्षक बारां को उनके उक्त पत्रांक के क्रम में प्रेषित है।